

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5770

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार ऋषि गालव महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2012-13 के लिये एम.एस-सी. (माइक्रोवायोलॉजी एवं बायोटैक्नोलॉजी), पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 23.06.2012 के प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय को सत्र 2012-13 हेतु एम.एस-सी. (माइक्रोवायोलॉजी एवं बायोटैक्नोलॉजी) पाठ्यक्रमों को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने कावत् निरीक्षण किया गया।
2. पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 15.02.2012 को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय को सत्र 2011-12 के लिये उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने कावत् निरीक्षण किया गया था।
3. दोनों निरीक्षणों के बीच की समयविधि में महाविद्यालय द्वारा इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।
4. अतः समिति का सर्व सम्मति से यह मानना है, कि यदि महाविद्यालय सत्र 2011-12 के संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त शर्तों को आगामी दो महीनों में पूर्ण नहीं कर लेता है, तो महाविद्यालय को यह निर्देशित किया जा सकता है, कि वह आगामी सत्र 2012-13 में उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में नवीन छात्रों को प्रवेश न दे एवं महाविद्यालय को उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु दी गई अस्थाई सम्बद्धता को सत्र 2012-13 से समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
5. महाविद्यालय को यह अंतिम अवसर दिया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- 1 प्राचार्य, ऋषि गालव महाविद्यालय, मुरैना
- 2 आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 3 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- 4 उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 5 अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवसिंदी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5771

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार ऋषि गालव महाविद्यालय, गुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (माइक्रोबायोलॉजी, एवं बायोटेक्नोलॉजी), एम.ए. (अंग्रेजी, संस्कृत) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें :-

- परिनियम 28 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के माध्यम से उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों हेतु तीन-तीन वॉग्यताधारी शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष क्रीडा अधिकारी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ महाविद्यालय द्वारा शीघ्र अति शीघ्र सम्पन्न कराई जावे।
- पुस्तकालय में सम्बंधित विषयों के पुस्तकों के अभाव होने के कारण प्रत्येक पाठ्यक्रम सम्बंधित चार-चार लाख रुपये की नवीन संस्करण की पुस्तकों अकादमिक सत्र 2011-12 में क्रय की जावे।
- पुस्तकालय में कम से कम दस विषय सम्बंधित राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाये क्रय की जावे।
- प्रत्येक प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने हेतु कम से कम पाँच लाख रुपये के उचित एवं उपयोगी उपकरण क्रय किये जावे।
- प्रत्येक प्रयोगशालाओं को उचित मानकों के तीन-तीन लाख रुपये के रसायनों से सुसज्जित किया जावे।
- महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय हेतु उचित मात्रा में उपयोगी फर्नीचर क्रय किये जावे।
- पाठ्यक्रमों से सम्बंधित लीगल साफ्टवेयर क्रय किये जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, ऋषि गालव महाविद्यालय, गुरैना
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)